प्रेषक,

संख्या 5600/15-12-85-10(4)/85

श्री एल० एस० गौतम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2/19, रूप नगर? विहार अन्सारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली ।

शिक्षा (12) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 1985.

विषय:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्ध होने में इस राज्य सरकार को निम्नांकित शर्तों के अधीन आपत्ति न होगी :-

(क) सामान्य प्रतिबन्ध

1- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान पिछड़े एवं निम्न वर्ग आय के व्यक्तियों के बच्चों/बालकों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उन उनसे वही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित है ।

3- कैपिटेशन फीस की प्रथा समाप्त की जाय अथवा यदि आवश्यक हो तो कैपिटेशन फीस रीजनेबुल दर पर लिया जाय।

4- अन्य शुल्कों की दरों में भी कमी की जायेगी जो वर्तमान दरों के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी ।

5- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

6- संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

8- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा ।

.....2

[ख] विशेष प्रतिबन्ध

1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक-एक कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय-कक्ष तथा चार प्रशासनिक-कक्षों की व्यवस्था की जायेगी।

3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायें तथा उन्हें असासकीय उ० मा० विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

5- इन शर्तों को एक निश्चित समय के भीतर पूरा कर उनका पालन किया जाता रहेगा और किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति-प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

[एम०पी० गौतम]
उप सचिव।

संख्या 5600(1)/15-12-85-1014(1)/85

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
3- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

[एम० पी० गौतम]
उप सचिव।